

संदर्भः आईआरडीएआई/जीएएण्डएचआर/सीआईआर/विविध/172/8/2022

Ref: IRDAI/GA&HR/CIR/MISC/172/8/2022

11/08/2022

<u>परिपत्र</u> CIRCULAR

विषयः बीमा मध्यवर्तियों को आईआरडीएआई द्वारा प्रदत्त सेवाओं पर सेवा कर / जीएसटी की प्रयोज्यता

Reg: Applicability of Service Tax / GST on services provided by IRDAI to Insurance intermediaries

आयुक्त (अपीलें – 1) द्वारा अपील सं. एचवाईडी/एसवीटैक्स-एचवाईसी/एपीपी-025-022-23 (एपीपी1) दिनांक 22-06-2022 में पारित किये गये आदेश के अनुसार यह बताया गया है कि बीमा मध्यवर्तियों को प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए सेवा कर / देय है।

अतः सभी बीमा मध्यवर्तियों को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया जाता है कि 12-08-2022 को या उसके बाद शुल्क / प्रभार आदि के लिए प्राधिकरण को अदा किया गया / देय कोई भी भुगतान 18% की दर से जीएसटी के साथ किया जाएगा। पहले की अविध के लिए सेवा कर / जीएसटी के संबंध में अनुदेश अलग से जारी किये जाएँगे।

इसके अलावा, सभी बीमा मध्यवर्तियों को निदेश दिया जाता है कि वे शुल्क संग्रहण के संबंध में प्राधिकरण द्वारा उत्पन्न किये गये बीजकों में शामिल करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण को वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या से युक्त अपने जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति 20 अगस्त 2022 को या उससे पहले ई-मेल आईडी kanthishri@irdai.gov.in और accounts@irdai.gov.in पर प्रस्तुत करें।

As per the Order passed by the Commissioner (Appeals - I) in appeal no. HYD/SVTAX-HYC/APP-025-022-23 (APP1) dated 22/06/2022, it is stated that the services provided by the Authority to Insurance intermediaries are liable for Service Tax / GST.

Therefore, all insurance intermediaries are advised to ensure that any payment made to the Authority towards fees / charges etc., paid / payable on or after 12/08/2022 shall be made along with GST @ 18%. Instructions in respect of Service Tax / GST for the earlier period will be issued separately.

Further, all the insurance intermediaries are directed to submit a copy of their GST registration certificate bearing the Goods and Services Tax Identification Number to the Authority on the e-mail ID, kanthishri@irdai.gov.in and accounts@irdai.gov.in on or before 20th August, 2022 for the purpose of including the same in the invoices generated by the Authority in respect of the fee collection.

मुख्य महाप्रबंधक (सामान्य प्रशासन और मानव संसाधन) CGM (General Administration & HR)